रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274910
CG-DL-E-29072026-274910

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948
No. 598]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 660(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-1) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-1) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-1) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 की अनुसूची में,-

(क) स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2) से संबंधित क्रम संख्या (2) के सामने,-

(i) स्तंभ (10) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा";

(ii) स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19,900 रु.-63,200 रु.) में हों और उक्त श्रेणी में नियमित आधार पर नौ वर्ष सेवा की हो और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या कानूनी संगठन या स्वशासी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी,-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19,900 रु.-63,200 रु.) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर उक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नौ वर्ष सेवा की हो; या

(ख) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मोटर कार चलाने हेतु जारी वैध चालक अनुज्ञप्ति धारित हो।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।";

(ख) स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-1) से संबंधित क्रम संख्या (3) के सामने,-

(i) स्तंभ (10) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा";

(ii) स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2), जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500 रु.-81,100 रु.) में हों और उक्त श्रेणी में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; या स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2) और स्टाफ

कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पदों पर संयुक्त रूप से पन्द्रह वर्ष की नियमित सेवा की हो, और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों।

टिप्पणी:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या कानूनी संगठन या स्वशासी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी,-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500 रु.-81,100 रु.) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर उक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष पूर्ण कर चुके हों; या स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पदों पर संयुक्त रूप से पन्द्रह वर्ष की नियमित सेवा की हो, और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों; और

(ख) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मोटर कार चलाने हेतु जारी वैध चालक अनुज्ञप्ति धारित हो।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।" ।

[फा. सं. ए-12018/01/2025-स्था.3]

ए. धनलक्ष्मी, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department Of Science And Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

G.S.R. 660(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Grade I), Group'C' posts, Recruitment Rules, 2022, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Grade I), Group 'C' posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Grade I), Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2022, in the Schedule,-

(a) against serial number 2 relating to the post of Staff Car Driver (Grade II),-

(i) in column (10), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Promotion failing which by deputation (including short-term contract)";

(ii) in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Central Government.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or universities or institutes or public sector undertakings or statutory organisation or autonomous organisation,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with nine years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-2 (Rs.19900-63200) or equivalent in the present cadre or department; and

(b) possessing a valid driving license issued by the Central Government, State Government or Union territory Administrations for motor cars.

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.";

(b) against serial number 3 relating to the post of Staff Car Driver (Grade I),-

(i) in column (10), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Promotion failing which by deputation (including short-term contract)";

(ii) in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Promotion: Staff Car Driver (Grade II) in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade or with combined service of fifteen years in Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Central Government.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed

their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or universities or institutes or public sector undertakings or statutory organisation or autonomous organisation,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or

(ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Central Government; and

(b) possessing a valid driving license issued by the Central Government, State Government or Union territory Administrations for motor cars.

Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.".

[F. No. A-12018/01/2025-Estt.III]

A. DHANALAKSHMI, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 57, dated the 31st March, 2022, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 31st March, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.29 15:55:29 +05'30'